झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015............. /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **गढ़वा जिले में पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराये जाने के कार्य हेतु रू० 1064.00 करोड़ (रूपये एक हजार चौसठ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. गढ़वा जिले में पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराये जाने के कार्य हेतु रू० 1064.00 करोड़ (रूपये एक हजार चौसठ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना के अन्तर्गत गढ़वा जिले में सोन नदी एवं कनहर नदी के तीन अलग–अलग Pipeline से जल लाने का प्रावधान है जो निम्नवत् है :–

Pipeline-I – सोन नदी से भवनाथपुर प्रखण्ड के दारीडीह ग्राम में लिफ्टिंग

Pipeline-II – कनहर नदी से रंका प्रखण्ड के भुनरी ग्राम में लिफ्टिंग

Pipeline-III – कनहर नदी से भंडरिया प्रखण्ड के उरगा ग्राम में लिफ्टिंग

4. इन तीन प्रस्तावित पाईपलाइन योजना से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पाईपलाइन	लिफ्टिंग पॉइंट	ग्राम	लिफ्ट किये जाने वाले पानी की मात्रा (MCM)	पाईपलाइन की लम्बाई एवं अनुमानित लागत	लिफ्टिंग पॉइंट की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	पाईपलाइन–I	Lat.- 20^{0}30' 3.26" Long.- 83^{0}44' 36.56"	दरीडीह (भवनाथपुर)	37.57	140.54 Km. 623.00 Cr.	5
2.	पाईपलाइन–II	Lat.- 23^{0}49 34.32" Long.- 83^{0}41' 46.56"	भुनरी प्रखंड–रंका	27.55	110.8 Km. 366.50 Cr.	2
3.	पाईपलाइन–III	Lat.- 23^{0}37' 31.23" Long.- 83^{0}45' 55.44"	उरगा प्रखंड–भंडरिया	8.69	19.7 Km. 74.54 Cr.	1

C:\D\Node 3\Manoj Sir\Sanlekh\Sanlekh_New_ 1064.00.doc

5. इन पाईपलाईन से जिन जलाशयो को भरा जायगा उनकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र०सं०	पाईपलाइन	जलाशयो का नाम		लाभान्वित प्रखण्ड
1.	पाईपलाइन–I	1	सरसतिया,	गढ़वा, नगर उटारी, मंझियांव, भवनाथपुर कांडी, केतर, खरौंदी, रमना, सगमा एवं विशुनपुर
		2	कवलदाग,	
		3	बभनीखांड,	
		4	उत्तमाही,	
		5	पंडरवा जलाशय एवं	
		6	पाईपलाईन के मार्ग में पड़ने वाले अन्य छोटे–बडे जल निकाय	
2.	पाईपलाइन–II	1	दानरो,	धुरकी, रमकन्डा, रमना, चिनिया एवं डंडई
		2	बाँयी बाँकी,	
		3	अन्नराज जलाशय एवं	
		4	पाईपलाईन के मार्ग में पड़ने वाले अन्य छोटे–बडे जल निकाय	
3.	पाईपलाइन–III	1	पाईपलाईन के मार्ग में पड़ने वाले छोटे–बडे जल निकाय	भंडरिया

6. प्रस्तावित कार्य का व्यय मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–64 छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 निर्माण कार्य के अन्तर्गत उत्तर कोयल परियोजना के लिए प्रावधानित बजटीय उपबंध से भारित होगा।

7. उपरोक्त कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर होंगे।

8. राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा दिये गये शर्त "जिन रैयतो की भूमि से पाईप लाईन गुजरेगी, उनके मुआवजे के संबंध में अन्य राज्यों से सम्पर्क कर नीति निर्धारण की कार्रवाई की जाए" का अनुपालन किया जायेगा।

9. प्रस्तावित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

11. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में उपबंध है।

12. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

15. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015............. /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक् वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथोक्त।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015............. /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागारण झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015............. 4911 8.9.छी /राँची, दिनांक 30.10.2017

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल–1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/X/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)